न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

58 / 2012
मएस : 2012 / 179
सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री मति निवकी उर्फ गुरजीतकोर पुत्री श्री दलीप सिहं पत्नी बुटा सिह जाति जटसिख साकिन 42एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्री गंगानगर।

—:प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत सांवतसर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सांवतसर तहसील रायसिंहनगर।
जतिन्द्र सिहं ! पि0 सरदुलसिहं जाति जटसिख निवारी रोनपाल तहसील रानिया
राजिन्दर सिहं ! जिला सिरसा (हरियाना)

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151सीपीसी

थत अधिवक्तागण
श्री राजाराम धारणियां .प्रार्थी अधिवक्ता.
श्री परमजीत सिहं मेहरा अप्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक :– 27.11.2024

—: निर्णय :—

क्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी सुखविन्दर सिहं ने अप्रार्थीगण के रुद्ध न्यायालय में अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र आदेश 39 नियम 1 व 3 धारा 51सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाना दलीप सिहं पुत्र केहर सिहं नेवासी 39 पी एस तहसील रायसिंहनगर के नाम चक सावंतसर तहसील रायसिंहनगर के]ु.न. 31–32 में 12.524 है. बारानी भूमि खातेदारी थी। जिनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि वेरास्तन इन्तकाल मृतक दलीपसिहं के विधिक उतराधिकारीयों के नाम इ.न. 319 दिनांक 20.02.08 को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दर्ज किया जा चुका था। उक्त इन्तकाल दर्ज होने के बाद अप्रार्थी सं. 2–3 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से मिल कर किसी फर्जी तथा कुट रचित वसीयत के आधार पर अपने नाम इन्तकाल सं.319 को खारिज करवा कर इन्तकाल सं. 320 दिनांक 5.06.08 को दर्ज करवा लिया। जबकि अप्रार्थीगण को यह मालूम हुआ कि मृतक दलीप सिहं के विधिक उतराधिकारीगण को उनके नाम इन्तकाल हुए की जानकारी होने पर सक्षम न्यायालय में इन्तकाल निरस्त कराने की कार्यवाही चालू कर दी है तो उन्होने अपने नाम की उक्त तमाम भूमि की बिकवाली निकाली है तथा एलानिया कहना शुरू कर दिया है कि वे मृतक दलीप सिहं के किसी अन्य विधिक उताराधिकारी को इस भूमि में कोई हिस्सा नही देगे तथा भूमि को बेचान कर कब्जा किसी अन्य खरीददार को करवा देगें। अप्रार्थीगण दिनांक 30–0–12 को चक में आकर कुछ लोगों से सम्पर्क किया अपने नाम की उक्त विवादित भूमि आगे बेचान की इच्छा जाहिर की तो इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी अपने ननिहाल के कुछ मौतबीर आदमीयों को साथ लेकर अप्रार्थी सं. 2–3 से मिला तथा कहा कि उसकी माता निक्की का इस भूमि में हिस्सा है तथा उसके नाम इन्तकाल भी दर्ज हुआ तथा वे भूमि को किसी तरह से खुर्द–बुर्द अथवा बेचान न करे तो अप्रार्थी सं. 2–3 ने एलानिया कहा कि वे जल्द ही इस भूमि का बेचान करके रहेगे। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत प्रार्थना–पत्र है। अगर अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादा में कामयाब होते है तो इससे प्रार्थी को अपनी माता निक्की के हिस्सा से वचिंत होना पडेगा। जिससे उसको नाम पूरा होने वाला [illegible] को नापने का कोई माप नहीं होगा तथा आपस में विवाद होगा। प्रथम दृष्ट[illegible] प्रार्थी का सिद्व है क्यों कि उसकी माता तथा मृतक दलीपा सि[illegible] के नाम पटवारी हल्का द्वारा इन्तकाल दर्ज किया जाकर अप्रार्थी [illegible] द्वारा इ.न. 3[illegible] दिनांक 20.02.08 को तस्दीक किया था लेकिन वही इन्तकाल उ[illegible] हुए खा[illegible] अप्रार्थी सं. 2–3 के नाम इ.न. 329 [illegible] प्रार्थीगण का विवादित [illegible] कभी कब्जा नहीं रहा तथा ना ही आज दिन है बल्कि इस भूमि पर मृतक दलीप

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

उत्तराधिकारीगण का संयुक्त रूप से कब्जा है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी पक्ष में है।

अतः अगर अपील के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती है तो इससे प्रार्थी की अपील का उद्देश्य समाप्त हो जावेगा तथा अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जावेगे। प्रार्थी को नुकसान होगा। मूल अपील के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि चक दुलरासर बारानी का मु.न. 31–32 के 12.524 है. बारानी भूमि रहने बैय करने से तथा भूमि के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से तथा अप्रार्थी सं. 1 भविष्य में किसी अन्य के नाम इन्तकाल दर्ज करने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री परमजीत सिहं द्वारा अधिवक्ता हाजिर आये। जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु वकील अप्रार्थीगण को कई अवसर दिये गये। जबाव प्रा.पत्र प्रस्तुत करने नहीं किया। बहस हेतु सहमति दी। अप्रार्थी सं. 1 हाजिर नहीं आया।

उभयपक्ष पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व पारित किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कोई विरोध प्रकट नहीं किया।

उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। विवादित भूमि वाके चक दुलरासर बारानी के मु.न. 31–32 के 12.524 है. बारानी का खातेदार दलीप सिहं पुत्र केहर सिहं की मृत्यु के पश्चात् विरास्तन सं. 319 दिनांक 20.02.2008 के द्वारा सरदुल सिहं –महेन्द्र कौर , निक्की , मनजीतकौर, गुडी , ...न्द्रकौर पि. दलीप सिहं बहिब कोम जटसिख सा. सैनपाल तह. रानीया ,हरियाणा के नाम दर्ज किया गया है। जो बाद में दिनांक 10.10.2012 खारिज किया गया है। दिनांक ...2008 को इन्तकाल स. 329 के द्वारा उक्त भूमि जतिन्द्र सिहं –राजिन्द्र सिहं पि. सरदूल सिहं जाति जटसिख बहिब.सा. सैनपाल तह. रानिया खातेदार दर्ज हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने कब्जा बता रहा है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर किसी अन्य को बेचान करते है तो इससे नुकसान अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थी को होगा। जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़ेगी। विवादित भूमि में कब्जा किस का है या किस का हक बनता है । इस बाबत मूल अपील में दोनों पक्षों के साक्ष्य/ दस्तावेज पेश होने पर ही तया किया जाना है। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसकेखण्डन में अप्रार्थीगण ने कोई जबाव प्रा.पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना –पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–ःआदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र आशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा मूल अपील के निस्तारण तक पारित की जाती है कि वाके चक दुलरासर बारानी के मु.न. 31–32 के 12.524 है. बारानी को किसी प्रकार बेचान रहन बैय हंस्तारित ना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसे प्रार्थी को नुकसान होता हो। दिनांक 22.07.2024 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता हैं पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिहनगर

AnyScanner